संख्या– 489 /936/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन,
उत्तरॉचल,
देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादूनःदिनॉक 12 दिसम्बर, 2005

विषयः– **बी0एच0ई0एल0 विमानन परिसर, रानिपुर हरिद्वार में कय की गई भूमि की बाउण्ड्रीवाल तथा परिसर के अन्तर्गत झाड़ियों के कटान एवं विकास तथा एअरस्ट्रिप के सरफेस की ड्रेसिंग आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में वर्ष 2005–2006 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–394/936/सा0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)/200–04 दिनांक 4–9–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0एच0ई0एल0 विमानन परिसर, रानिपुर हरिद्वार में कय की गई 315 एकड़ भूमि के लिये परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–3, कन्स्ट्रशन विंग, उत्तरांचल पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा 2544 Rmt बाउण्ड्रीवाल,तथा परिसर के अन्तर्गत झाड़ियों के कटान एवं विकास तथा एअरस्ट्रिप के सरफेस की ड्रेसिंग आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्यो के सम्बन्ध गठित रू0 183.30 लाख (एक करोड़ तिरासी लाख तीस हजार) मात्र की धनराशि में से टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 180.30 लाख (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2– उक्त धनराशि की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है बल्कि धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–87/IX(4)/2005-1(1)/2005-06 दिनांक 27 मई, 2005 द्वारा निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल, देहरादून के निवर्तन पर रखी गई धनराशि में से ही तीन समान किश्तों में और पूर्व किश्त के पूर्ण उपयोग के बाद ही अनुवर्ती किश्त का आहरण किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–1, कन्स्ट्रक्शन विंग उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून को रेखॉकित बैंक ड्राफट अथवा कोषागार चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी ।

4– निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर परचेज नियमों का विशेष ध्यान रखा जाये।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाये।

6– कार्य कराने से पूर्व एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

7– धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

8– कार्यो के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5 अप्रैल, 2005 का अनुपालन किया जायेगा।

9– कार्य करने से पूर्व स्थल का भलीं–भांती निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवशय करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही उपयोग में लाया जाये।

11– स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उक्तानुसार अनुमोदित मदों पर ही किया जाये। अन्यत्र मदों में धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

12– आवंटित धनराशि का दिनांक 31–3–2006 तक पूर्ण उपयोग कर उसके कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना नियमित रूप से मास में एक बार निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि दिनांक 31–3–2006 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13– कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही कराये जायें, किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्यदायी सस्था/इकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

14– कार्यदायी इकाई को आवंटित कार्य को शासन द्वारा निश्चित समयसीमा में पूर्ण कराया जाना होगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन– आयोजनागत–800–अन्य व्यय 04–हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–00– 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–202/XXVI(2)/2005 दिनॉक 09 दिसम्बर,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव

संख्या– 489 /936/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2003,समदिनॉकिंत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2. आयुक्त,कुमॉऊ मण्डल,नैनीताल ।
3. जिलाधिकारी,उधमसिंहनगर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
5. स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तरॉचल ।
6. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी
7. वित्त अनुभाग–2
8. बजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय।
9. गार्ड फाइल ।
10. एन0आई0सी0उत्तरॉचल सचिवालय ।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव